वित्त निर्देश 25/2019

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.1495/1253/2018/स्था./चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.11.2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :– इम्पेनलमेंट्स आफ बैंक्स ।

———00———

राज्य शासन के विभिन्न प्रशासकीय निकाय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/बोर्ड आदि के पास अतिरिक्त कोष का विनियोजन बैंकों में किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा बैंकों का इम्पेनलमेंट (empanelment) कर सूची जारी की जाती है।

2/ बैंकों के इम्पेनलमेंट के द्वारा शासन और बैंकों के बीच प्रशस्त तथा प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा बैंकिंग समुदाय के मध्य स्वच्छ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा कोष विनियोजन हेतु 14 दिसम्बर 1994 को मार्गदर्शी अनुदेश जारी किये गये। इसी अनुदेश को आधारित करते हुए मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. /सअ /शा.पू.जी. /1/ संविसं/96/ 1850, भोपाल, दिनांक 19.09.1996 द्वारा बैंकों के इम्पेनलमेंट संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उक्त अनुदेशों के आधार पर बैंको का इम्पेनलमेंट किया जा रहा है।

3/ वर्तमान प्रक्रिया से शासन के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण पूर्व व्यवस्था के स्थान पर शासकीय कोष को विभिन्न बैंक में जमा करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:–

राज्य स्तरीय विभाग/निगम/मण्डल/निकाय/उपक्रम आदि के लिए मापदण्ड –

क्र.	पैरामीटर	अंक	रिमार्क
I	Priority Sector Lending	25	40% तक उपलब्धि = 0 अंक (RBI निर्धारित न्यूनतम सीमा) 40% से 100% उपलब्धि = प्रत्येक प्रतिशत उपलब्धि के लिये बराबर अनुपातिक अंक दिया जायेगा।

II	Achievement in Government Scheme. 1. NRLM - 4 अंक 2. NULM - 4 अंक 3. PMEGP - 4 अंक 4. Mudra - 4 अंक 5. Adiwasi+Antyoday + Mukhya Mantri Yuva Swarojgar Yojana - 4 अंक	20	किसी एक बैंक को दिये गये लक्ष्य के संबंध में उस बैंक की उपलब्धि को 25% एवं योजना विशेष में राज्य के सभी बैंकों की कुल उपलब्धि में संबंधित बैंक की उपलब्धि के प्रतिशत को 75% भार दिया जायेगा।
III	Credit/Deposite Ratio	25	40% तक उपलब्धि = 0 अंक (RBI निर्धारित न्यूनतम सीमा) 40% से 100% उपलब्धि = प्रत्येक प्रतिशत उपलब्धि के लिये बराबर अनुपातिक अंक दिया जायेगा।
IV	Loans given to State and its Undertakings	20	राज्य शासन/उपक्रमों आदि को बैंकों द्वारा ऋण, उनके आनुपातिक अंश, ऋण–ब्याज राशि का भविष्य में भुगतान आदि के आधार पर अंक दिये जायेंगे।
V	Department Head Remarks	10	शासन की विभिन्न आवश्यकताओं एवं निर्देशों के प्रति संवेदनशीलता, विभाग के लिये CSR गतिविधियों में सहभागिता, कर्मचारियों के लिये ऋण आदि की सुविधा। (Calculated Parameters of Public responsiveness, Average of all HoD remarks to be done in the ratio of deposits held by them.)

जिला स्तरीय विभाग/निगम/मण्डल/निकाय/उपक्रम आदि के कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय के लिये मापदण्ड –

जिला स्तरीय मापदण्ड राज्य स्तरीय मापदण्ड क्रमांक– I से IV के समान एंव V निम्नानुसार होगा :–

क्र.	पैरामीटर	अंक	रिमार्क
V	District Collector Remarks	10	शासन की विभिन्न आवश्यकताओं एवं निर्देशों के प्रति संवेदनशीलता, विभाग के लिये CSR गतिविधियों में सहभागिता, कर्मचारियों के लिये ऋण आदि की सुविधा। (Calculated Parameters of Public responsiveness.)

4/ (i) उपरोक्त मापदण्ड के साथ बैंकों द्वारा किसी भी दो से अधिक पैरामीटर (Parameter) में निरंक प्रगति/उपलब्धि होने की स्थिति में संबंधित बैंक को शासकीय जमा हेतु अयोग्य माना जायेगा।

(ii) किसी बैंक का कुल जमा, उस बैंक के ग्राहक तक पहुंच, उनके प्रति संवेदनशीलता/जवाबदेही, जमा ब्याज दर आदि की प्रभावशीलता का एक अच्छा सूचक होने के कारण इस नियम के अंतर्गत् किसी एक बैंक के छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जमा के अधिकतम दो गुना तक शासकीय जमा की उस बैंक की पात्रता होगी।

(iii) जिले में शासकीय जमा हेतु पात्रता के लिए किसी भी बैंक का उस जिला मुख्यालय एवं सभी ब्लॉक मुख्यालय में उनका ब्रांच होना अनिवार्य है।

(iv) वित विभाग के निर्देश के आधार पर LWE/Special Area में जिन बैंकों द्वारा ब्रांच खोले गये हैं उन्हें उस ब्रांच के परिचालन/प्रशासन आदि संबंधी व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उस ब्रांच के लिये न्यूनतम आवश्यक शासकीय जमा जिला स्तर से उपलब्ध कराया जाये और उतनी राशि को इस फार्मूला से बाहर रखा जाये। अगर जिले में पर्याप्त राशि इस हेतु किसी कारण उपलब्ध नहीं हो, तो शेष राशि को राज्य में विभाग/निगम/मण्डल/निकाय /उपक्रम के पास उपलब्ध राशि से भरपाई की जाये, जिसे उपर वर्णित फार्मूला से बाहर रखा जाये।

(v) इस फार्मूला के अंतर्गत् पूर्व वित्तीय वर्ष के डाटा के आधार पर बैंकों में शासकीय जमा राशि हेतु बैंकवार शासकीय जमा अनुपात की सूची वार्षिक रूप से जारी की जायेगी जो सभी विभागों/जिला कलेक्टरों को प्रेषित की जायेगी। विभागों/जिलों द्वारा इस सूची की अनुपालन की निगरानी हेतु

उनसे प्रत्येक तिमाही शासकीय जमा की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जायेगी।

(vi) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. पात्र बैंकों की सूची एवं उनमें शासकीय जमा हेतु बैंकवार अंक/अनुपात (राज्य व जिला स्तरीय दोनों) संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा जारी किये जायेंगे जो एक वर्ष अथवा नवीन सूची जारी होने तक वैध रहेंगे।

2. सभी विभागों एवं जिलों द्वारा संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा जारी सरकारी जमा हेतु बैंकवार अनुपात का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जायेगा। इस अनुपालन की निगरानी राज्य स्तर पर विभागों हेतु संचालनालय, संस्थागत वित एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

3. विभागों/जिला कलेक्टरों द्वारा बैंकवार अंक (निर्धारित प्रारूप में) संचालनालय, संस्थागत वित्त को किसी भी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 30 दिन के भीतर अर्थात् 30 अप्रैल तक अथवा संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा इंगित दिनांक तक प्रस्तुत किया जायेगा। समय–सीमा में प्राप्त अंक के आधार पर औसत अंक निर्धारित किया जायेगा। इन अंकों की बैंकवार औसत की गणना कर संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा विभागों/जिला कलेक्टरों के रिमार्क के संबंध में बैंकों को अंतिम अंक दिया जायेगा।

4. बैंकों के प्रदर्शन (Performance) के मूल्यांकन एवं उनके अंक का निर्धारण पूर्व वित्तीय वर्ष के 31 मार्च का डाटा, जो एसएलबीसी को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर किया जायेगा। सरकारी योजनाओं में प्रदर्शन का मूल्यांकन उन योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध निर्गमित राशि (Disbursal amount) के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

5. राज्य स्तर पर शासकीय जमा की गणना करते समय जिले स्तर का शासकीय जमा राशि शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि वह राशि जिला स्तरीय जमा राशि में शामिल किया होगा।

6. इस योजना के संदर्भ में रिपोर्टिंग फार्मेट, डाटा संकलन फार्मेट (यदि कोई हो), फार्मूला में संशोधन आदि संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा जारी किया जायेगा।

7. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कोई समस्या के समाधान एवं किसी पहलू के स्पष्टीकरण हेतु आवश्यक निर्देश निकालने के लिये संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय सक्षम प्राधिकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

29/11

(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव,

पृ. क्र. 1496 /1253/2018/स्था./चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.11.2019

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
03. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
04. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
05. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रायपुर
06. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
07. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
08. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
09. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/संचालक संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय/इन्द्रावती कोषालय छत्तीसगढ़
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
16. संचालक शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

29/11/2019

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव,